

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा  
पीठासीन अधिकारी : नानू राम सैनी (आर.ए.एस)

खाद्य सुरक्षा परिवाद संख्या 09/2023

प्रार्थी/परिवादी

बनाम

अप्रार्थी/गैरसायल-

राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर

1. महेन्द्र कुमार पुत्र भीमाराम जाति सुथार निवासी पारलू मैसर्स देव जनरल स्टोर, पारलू, तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
2. हितेश कुमार पुत्र जवाहर लाल निवासी समदड़ी जिला बालोतरा (मैसर्स दीपक ऐजन्सी, समदड़ी जिला बालोतरा)
3. मुकेश पारीक प्रो. ऑफ मैसर्स मारुती फूड प्रोडक्ट, जे0आर0एग्रो0 के पास, रिको इण्डिस्ट्रियल एरिया, नोखा बीकानेर
4. विनोद राजपुरोहित मैसर्स राजपुरोहित डेयरी, भोपा बस्ती के पास लाडपुरा रोड, घुघरा, अजमेर।
5. मनोहर सिंह मैसर्स राजपुरोहित डेयरी, भोपा बस्ती के पास लाडपुरा रोड, घुघरा, अजमेर।

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006  
उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी, बाड़मेर प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. महेन्द्र कुमार पुत्र भीमाराम जाति सुथार निवासी पारलू (मैसर्स देव जनरल स्टोर, पारलू, तहसील पचपदरा जिला बालोतरा) अप्रार्थी संख्या 01 स्वयं उपस्थित।
3. हितेश कुमार पुत्र जवाहर लाल निवासी समदड़ी जिला बालोतरा (मैसर्स दीपक ऐजन्सी, समदड़ी जिला बालोतरा) अप्रार्थी संख्या 02 स्वयं उपस्थित।
4. मनोहर सिंह मैसर्स राजपुरोहित डेयरी, भोपा बस्ती के पास लाडपुरा रोड, घुघरा, अजमेर अप्रार्थी संख्या 05 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश कुमार अरोड़ा उपस्थित

—:आदेश:—

दिनांक:- 31.07.2024



प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा

के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी संख्या 01 की फर्म मैसर्स देव जनरल स्टोर, पारलू तहसील पचपदरा जिला बालोतरा पर निरीक्षण दिनांक 05.03.2022 के दौरान विक्रय हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ घी ब्राण्ड ताकत (500 एम.एल.) में मिलावट का शक होने पर नियमानुसार कुल 500 एम.एल. वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या पी-1602 अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र-5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ घी ब्राण्ड ताकत (500 एम.एल.) का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ घी ब्राण्ड ताकत (500 एम.एल.) का नमूना जांच उपरांत रिपोर्ट L.S./720/Act/2022/807 दिनांक 28.03.2022 में उक्त नमूना (Due to Foreign Fat and Sub Standard) पाया गया है। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 विक्रेता व अप्रार्थी संख्या 02 फर्म मालिक स्वयं उपस्थित। अप्रार्थीगण को प्रत्येक स्तर पर सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अपने प्रतिरक्षण में कोई ठोस एवं तथ्यपरक प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया है।
3. हमने प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से संबंधित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थीगण के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य प्रयोगशाला जोधपुर की जांच उपरांत रिपोर्ट L.S./720/Act/2022/807 दिनांक 28.03.2022 में उक्त नमूना (Due to Foreign Fat and Sub Standard) का पाया गया है। इस पर यह परिवाद प्रस्तुत होने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थी संख्या 01 व 02



खाद्य पदार्थ के नमूने में पाई गई मिलावट पैकिंग फूड खरीदने की वजह से हुई है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नमूना (Due to Foreign Fat and Sub Standard) का पाये जाने के लिए प्रथम अपराध मानते हुए नरम रूख अपनाये जाने का निवेदन किया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण की फर्म से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना (Due to Foreign Fat and Sub Standard) का पाया गया है जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। लिहाजा खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट से अप्रार्थीगण के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरुद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर रुपये 20000/- अक्षरे बीस हजार रूपय का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर संबंधित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।
5. आदेश दिनांक 31.07.2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।



(नानू राम सैनी)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बिकानेर  
उपर जिला मजिस्ट्रेट, बिकानेर